- 27 -

अनूप मुखर्जी

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
Tel : 0612-2215804
Fax : 0612-2217085

5/ मं॰ 9 (विविध) -10/10 पत्र संख्या........147......./गो0मु0स0

दिनांक 20 ~~दिसम्बर, 2010.~~ जनवरी 2011

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक
सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक
सभी जिला पदाधिकारी
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/जिला पुलिस अधीक्षक/रेल पुलिस अधीक्षक

विषय :- सांसदों/विधायकों/पार्षदों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात, स्वयं दूरभाष पर वार्त्ता, सौजन्यता प्रदर्शन तथा उनके पत्रों का समय पर उत्तर देनें के सम्बन्ध में ।

महाशय,

862/14.5.2007
869/11.9.2006
199/23.3.2006
609/4.3.2006
248/4.4.1999
1273/12.7.1990

उपर्युक्त विषयक संसदीय कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर उपान्त में अंकित निर्गत पत्रों की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि स्पष्ट निदेश है कि संबंधित जन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात हेतु समय देने, पत्रों का उत्तर देने, दूरभाष पर बात करने तथा बातचीत में शिष्टता बरतने के संबंध में सजग रहें ।

आप अवगत हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोकतंत्र के स्तम्भ हैं तथा इनकी भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । इन्हें विधायी कार्यों के निष्पादन तथा जन समस्याओं से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों से सूचनाओं एवं सहयोग की आवश्यकता होती है ।

अतः सरकार ने विचारोपरान्त निम्नांकित निदेशों को पुनः दुहराया है :-

1. सांसदों/विधायकों/पार्षदों से प्राप्त पत्रों में अंकित विषयों पर त्वरित कार्रवाई की जाय तथा 15 दिनों के अन्दर उत्तर भेजा जाए ।
2. प्राप्त पत्रों के लिए एक अलग पंजी संधारित की जाए और प्रत्येक 15 दिनों पर कार्रवाई की समीक्षा की जाए तथा निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित की जाए ।

सत्यमेव जयते

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
Tel : 0612-2215804
Fax : 0612-2217085

3. सांसदों/विधायकों/पार्षदों से मिलने के लिए अवश्य समय दिया जाए तथा मुलाकात के समय सम्मानजनक व्यवहार किया जाए । बातचीत में हमेशा विनम्र रहें ।

4. दूरभाष एवं मोबाइल पर स्वयं वार्त्ता की जाए । मुख्यालय में अलग पंजी संधारित हो । अगर महत्वपूर्ण बैठक या क्षेत्रीय भ्रमण में व्यस्त हों अथवा किसी गंभीर विधि-व्यवस्था की समस्या के समाधान में लगे हों तो लौटकर पंजी में अंकित नम्बर पर तुरन्त वार्त्ता की जाए ।

5. अगर जनप्रतिनिधियों के द्वारा उल्लेख किये गये समस्या के समाधान हेतु सरकार के आदेश की अपेक्षा हो तो विभागीय प्रधान सचिव/सचिव से शीघ्र आदेश प्राप्त कर उत्तर दिया जाए ।

अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी निदेशित किया जाए ।

विश्वासभाजन,

7/1/11

(अनूप मुखर्जी)